अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

87/2025/225 अमरसिंह V/s अरूणा वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2025/87 श्री नवीन ... Adv. श्री ...	
18/2/25	अमरसिंह बनाम अरूणा वगैरह (2025/87)	

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2023 (1) (REV.) पेज संख्या 197 पेश किये।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं वाद तथा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 01.01.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01/ प्रार्थी को एकपक्षीय रूप से सुनकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किये गये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत नहीं करे सीधे ही अपील की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है तथा प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं, फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर (राज0)

—00—

अपील संख्या 87/2025

—00—

2025/87

श्री अमरसिंह पुत्र नारायणसिंह आयु 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी हूलो का मौहल्ला, सदर बाजार खरवा तहसील मसूदा जिला ब्यावर

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती अरूणा कुमारी आयु 75 वर्ष पुत्र राव श्री केशव सैन (श्री केशव सैन पुत्र राव श्री गणपतसिंह) पत्नि कुलवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खरवा तहसील मसूदा जिला ब्यावर हाल निवासी ग्राम व पोस्ट पाडोन तहसील गुना मध्प्रदेश
2. श्री नारायणसिंह पुत्र राजसिंह (फौत)
3. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिह
4. महेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिह
5. रामसिह पुत्र नारायणसिह (फौत जरिये वारिसान)
   - 5/1 श्रीमती छगनकंवर आयु 53 वर्ष पत्नि रामसिंह
   - 5/2 श्री अवतारसिंह आयु 25 वर्ष पुत्र रामसिंह
   - 5/3 श्री अजीतसिंह आयु 23 वर्ष पुत्र रामसिंह
   - 5/4 श्री कुशालसिंह आयु 20 वर्ष पुत्र रामसिह
   - 5/5 श्रीमती कमलेश कंवर आयु 28 वर्ष पुत्री रामसिह
   - 5/6 श्रीमती आनन्दकंवर आयु 22 वर्ष पुत्री रामसिंह
6. श्रीमती भवंरकंवर पुत्री नारायणसिह
7. श्रीमती हेमकंवर पुत्री नारायणसिंह
8. श्रीमती इन्द्रकंवर पुत्री नारायणसिह समस्त जातिगण राजपूत निवासी हूलो का मोहल्ला सदर बाजार खरवा जिला ब्यावर
9. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय मसुदा जिला ब्यावर

रेस्पोडेन्टगण

Scanned with CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसुदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2025 उनवान श्रीमती अरूणा कुमारी बनाम श्री नारायणसिंह व अन्य प्रकरण संख्या 2/2025 के विरूद्ध बाबत

श्रीमानजी,

माननीय न्यायालय से अपीलार्थी की ओर निम्न निवेदन है कि:-

1. यह कि अधीनस्त न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र वादपत्र वास्ते खातेदारी उदघोषणा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह कि वादपत्र में अंकित आराजी वादिया के दादा राव श्री गणपत सिंह पुत्र राव श्री गोपाल सिंह की खातेदारी/काश्तकारी की अराजीयात ग्राम केरिया तत्कालीन तहसील ब्यावर हाल तहसील मसूदा जिला अजमेर **हाल जिला ब्यावर** में अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 699 रकबा 361-5-0 व 695 रकबा 60-10-0 व 657 रकबा 3-4-10 के वर्तमान खसरा नम्बर 1278 रकबा 350-17-0, 1279 रकबा 2-10-0, 1280 रकबा 2-10-0, 1281 रकबा 4-2-0, 1282 रकबा 1-6-0, 1276 रकबा 60-10-0, 1204 रकबा 3-4-10 है एवं वादग्रस्त अराजीयात जमाबन्दी सन फसली 1359 में वादिया के दादा राव श्री गणपत सिंह के नाम खुदकास्त दर्ज है। तत्पश्चात जमाबन्दी संवत 2017 लगायत 2020 में, राव श्री गणपतु सिंह के नाम खसरा संख्या 699 मिन रकबा 30-0-0 बीघा अंकित कर शेष आाजीयात नारायण सिंह बल्द राज सिंह व श्रीमति अरुणा कुमारी विन्ते राव श्री केशव सैन, खसरा संख्या 699 मिन रकबा 331-5-0 बीघा अंकित कर दी गई जबकि राव श्री गणपत सिंह द्वारा वादग्रस्त आराजीयात वादिया को बख्शीश में प्रदान की गयी थी। इसलिए श्रीमति अरूणा कुमारी विन्ते राव श्री केशव सैन के नाम ही बतौर खातेदारी अंकन होनी चाहिए लेकिन आधा हिस्सा त्रुटिपूर्ण रूप से नारायण सिंह पुत्र श्री राज सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त त्रुटिपूर्ण परिविशिष्ट के आधार पर नारायण सिंह पुत्र राज सिंह को कोई वैधानिक रूप से वादग्रस्त अराजीवात में कोई स्वत्व निहित नही हुये थे ना ही प्राप्त हुये है। तत्पश्चात जमाबन्दी संवत 2041 में खसरा नंबर 1278/1' (हाल खसरा संख्या 1513/1278 है) रकबा 278-7-5 बीघा, 1276 रकबा 60-10-0, 1204 रकबा 3-4-10 को वादिया के साथ साथ पुनः नारायण सिंह पुत्र श्री राज सिंह के नाम

Scanned with CamScanner